

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:—स्था.(रा.न्या.से.) अवकाश / 1087 / 2022

दिनांक 31.03.2022

श्रीमती लता गौड़ (RJ0304), अति. सेशन न्यायाधीश, (महिला उत्पीड़न) प्रकरण, भीलवाड़ा को दिनांक 18.04.2022 से 22.04.2022 तक 05 दिनों का उपार्जित अवकाश दिनांक 17.04.2022 के राजपत्रित अवकाश के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

श्रीमती गौड़ की अनुपस्थिति में विशिष्ट न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/जनजाति (अ.नि.) प्रकरण, भीलवाड़ा इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल करेंगे।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति अति. सेशन न्यायाधीश, (महिला उत्पीड़न) प्रकरण, भीलवाड़ा के पद पर ही होने की संभावना है।

आज्ञा से,
31.03.2022
रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक:—स्था.बी.2(4)/07/2000/2472

दिनांक 31.03.2022

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, भीलवाड़ा को उनके पत्रांक 1932 दिनांक 16.02.2022 के सन्दर्भ में।
3. श्रीमती लता गौड़ (RJ0304), अति. सेशन न्यायाधीश, (महिला उत्पीड़न) प्रकरण, भीलवाड़ा।
4. अति. सेशन न्यायाधीश, (महिला उत्पीड़न) प्रकरण, भीलवाड़ा।
5. विशिष्ट न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/जनजाति (अ.नि.) प्रकरण, भीलवाड़ा।

31.3.2022
सहायक रजिस्ट्रार